षष्ठम् माला, खंड I, अंक 7, शुक्रवार, 1 अप्रैल, 1977/11 चैत्र, 1899 (शक)

Sixth Series, Vol. I, No. 7, Friday, April 1, 1977 / Chaitra 11, 1899 (Saka)

# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# 6th
# LOK SABHA DEBATES

[ पहला सत्र
First Session ]

सत्यमेव जयते

[ खंड I में अंक 1 से 11 तक हैं
Vol. I contains Nos. 1 to 11 ]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमे अंग्रेजी, हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

# विषय सूची CONTENTS

अंक 7, शुक्रवार, 1 अप्रैल, 1977/11 चैत्र, 1899 (शक)

*No. 7, Friday, April, 1, 1977/Chaitra 11, 1899 (Saka)*


| विषय | SUBJECT | PAGES |
|---|---|---|
| शपथ लेने वाले सदस्य | Members Sworn | 1 |
| अल्प सूचना प्रश्न | Short Notice Question | 1—8 |
| विशेषाधिकार का प्रश्न | Question of Privilege— | |
| अमरीका में जुलाई, 1975 में टेलीविजन पर श्री टी० एन० कौल द्वारा की गई कतिपय टिप्पणियां | Certain Remarks by Shri T. N. Kaul on television network in U.S.A. in July, 1975 | 8-9 |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | Papers laid on the Table | 10—14 |
| सभा का कार्य | Business of the House— | 14 |
| श्री रवीन्द्र वर्मा | Shri Ravindra Verma | 14-15 |
| कालटेक्स [कालटेक्स आयल रिफाइनिंग (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों तथा कालटेक्स (इंडिया) लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जन] विधेयक—पुरःस्थापित | Caltex [Acquisition of shares of Caltex Oil Refining (India) Limited and of the undertakings in India of Caltex (India) Linited] Bill—Introduced | 15-16 |
| कालटेक्स [कालटेक्स आयल रिफाइनिंग (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों तथा कालटेक्स (इंडिया) लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जन] अध्यादेश 1976 के बारे में वक्तव्य—सभा पटल पर रखा गया। | Statement re. Clatex [Acquisition of shares of Caltex Oil Refining (India) Limited and of the undertaking in India of Caltex (India) Limited] Ordinance, 1976—Laid on the Table | 16 |
| उपाध्यक्ष का निर्वाचन | Election of Deputy Speaker | 16—18 |
| राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव— | Motion of Thanks on the Address by the Vice-President acting as President | 18—21, 23—25 |
| श्री वी० पी० शास्त्री | Shri Y.P.Shastri | 18 |
| श्री के० लकप्पा | Shri K. Lakkappa | 18—20 |
| श्रीमती मृणाल केशव गोरे | Shrimati Mrinal Gore | 20-21; 23—25 |

| | | |
|---|---|---|
| श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचापत्र कर्मचारियों के लिये मजूरी अन्तरिम दरें निश्चित किये जाने के बारे में वक्तव्य— | Statement re. Fixation of Interim Rates of Wages for Working Journalists and Non-Journalists News paper Employee | 21 |
| श्री रवीन्द्र वर्मा | Shri Ravindra Verma | 21-22 |
| कतिपय षड़यन्त्र की जांच करने के लिये उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प :— | Resolution re. Appointment of High Powered Committee to go into certain Conspiracy— | 25—31 |
| श्री कंवर लाल गुप्त | Shri Kanwar Lal Gupta | 26—28; 31-32 |
| श्री वसन्त साठे | Shri Vasant Sathe | 28-29 |
| श्री मधु लिमये | Shri Madhu Limaye | 29-30 |
| श्री सी० एम० स्टीफन | Shri C.M. Stephen | 30-31 |
| चौधरी चरण सिंह | Chaudhuri Charan Singh | 31-32 |
| आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान किये गये अत्याचारों की जांच के बारे में संकल्प — | Resolution re. Probe into Atrocities committed during Internal Emergency— | 33 |
| श्री ज्योतिर्मय बसु | Shri Jyotirmoy Bosu | 33 |

## लोक सभा

## LOK SABHA

**शुक्रवार, 1 अप्रैल, 1977/11 चैत्र, 1899 (शक)**

*Friday, April 1, 1977 Chaitra 11, 1899 (Saka)*

**लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* ]

**शपथ लेने वाले सदस्य**

*MEMBERS SWORN*

**श्री एस० बी० शाह (खेड़ी)**

**श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (डोमरियागंज)**

**श्रीमती कमला बहुगुणा (फूलपुर)**

---

**अल्प सूचना प्रश्न**

SHORT NOTICE QUESTION

**पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों का पुनः खोला जाना**

**अल्प सूचना प्रश्न संख्या 1. श्री धीरेन्द्र नाथ बसु : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की बन्द पटसन मिलें पुनः खोली जायेंगी अथवा सरकारी नियंत्रण में ली जायेंगी; और

(ख) क्या सरकार बन्द पटसन मिलों के बेरोजगार श्रमिकों को पर्याप्त मुआवजा देने अथवा उसके लिए प्रबन्ध करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

**वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) :** (क) तथा (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

पटसन उद्योग देश का एक प्रमुख संगठित उद्योग है और राष्ट्रीय अर्थव्यस्था में इसका महत्व पूर्ण स्थान है। यद्यपि हाल में कई कारणों से देश के निर्यात व्यापार में इसका भाग घट गया है किन्तु फिर भी इसका प्रमुख स्थान है और देश की डालर के रूप में होने वाली आय में इसका काफी बड़ा भाग है। इस उद्योग के 74 एककों में लगभग 43,000 करघ लगे हुए हैं जिनमें वर्ष 1974 में विश्व उत्पादन का लगभग 32 प्रतिशत उत्पादन किया गया और जिनके द्वारा पटसन माल के विश्व निर्यात का लगभग 46 प्रतिशत निर्यात किया गया। इस उद्योग में लगभग 300 करोड़ रुपए की कुल पूंजी लगी हुई है और लगभग ढाई लाख कर्मचारियों को रोजगार मिला हुआ है। इसके अलावा, पटसन की खेती से लगभग 40 लाख खेतिहर परिवारों की रोजी चल रही है।

अधिकांशतः पटसन उद्योग की अच्छी स्थिति उसके बाहरी बाजार पर निर्भर करती है। हाल में पटसन का हमारा विदेशी बाजार इतना घटा है कि उससे स्थिति बिगड़ी है। मंदी के अलावा संश्लिष्ट पदार्थों से तथा अन्य पटसन उत्पादक देशों से प्रतियोगिता के कारण इस उद्योग की कठिनाई और भी बढ़ी है। पटसन उद्योग की वर्तमान स्थिति के कुछ जाने माने कारण है : आधुनिकीकरण, अनुसंधान और विकास के लिए पूंजी निवेश का अभाव तथा पुरानी परिवार आधारित प्रबंध प्रणाली। कई कारणों से पटसन उद्योग गंभीर स्थिति से हो कर गुजर रहा है।

30 दिसम्बर, 1976 को काम रुकने की वजह से नीचे लिखी पटसन मिलों पर प्रभाव पड़ा —

1. खारदाह जूट मिल
2. यूनियन जूट कम्पनी
3. भारत जूट मिल
4. बैवर्ली
5. नपफरचन्द्र
6. एलैक्जेंडर
7. कैल्विन
8. राय बहादुर हरदत्तराय मोतीलाल जूट मिल में 18–10–76 को पुनः उत्पादन का काम आरंभ हो गया किन्तु 25 दिसम्बर, 1976 से उस पर काम बंद होने का प्रभाव पड़ा।

30 दिसम्बर, 1976 को वाणिज्य मंत्रालय के अपर सचिव श्री पी० के० कौल की अध्यक्षता में एक समिति यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई कि जिन बंद पटसन मिलों को दुबारा खोला जा सकता है वे कार्य करना आरंभ कर दें। समिति ने काम बंद होने के मामलों की जांच की है और प्रभावित पटसन मिलों की समस्याओं का अध्ययन करके केस तैयार कर रही है।

कैल्विन जूट मिल तथा बैवर्ली जूट मिल ने क्रमशः 1–2–77 तथा 31–1–77 से उत्पादन पुनः शुरु कर दिया। इसके अतिरिक्त किन्निसन जूट मिल भी, जो कि बन्द होने की स्थिति में पहुंच गई थी, फिर से चालू हो गई है।

यह समिति बहुत सी बैठकें करती रही है और इन प्रभावित पटसन मिलों को फिर से खोलने के लिए आवश्यक सभी वित्तीय प्रबन्ध जोड़ने की कोशिश कर रही है। समिति के कार्य को और भी सक्रिय बनाया गया है। समिति ने सम्बन्धित बैंकों से तथा साथ ही भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बातचीत की है। इस बात पर सिद्धान्त रूप में आमतौर पर सहमति व्यक्त की गई है कि जिन मिलों को पुनः चलाया जा सकता है उनके मामले में मिल चालू करने के खर्चों तथा अतिरिक्त मार्जिन आवश्यकताओं की व्यवस्था भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा की जाएगी। इस पर सिद्धान्त रूप में सहमति हुई है कि कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं की व्यवस्था सम्बन्धित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा की जाएगी और आधुनिकीकरण नवीकरण तथा बैलैंसिंग आदि के लिए पूंजी संबंधी आवश्यकताओं की व्यवस्था भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा की जाएगी। खारदाह जूट मिल, यूनियन जूट कम्पनी तथा एलैक्जेंडर जूट मिल को पुनः खोलने के मामले विचार की अन्तिम अवस्था में हैं।

बिहार की राज्य सरकार से राय बहादुर हरदत्तराय मोतीलाल जूट मिल की जीवन-क्षमता का अध्ययन करने के लिए कहा गया है ताकि अगर वह मिल जीवन-क्षम पायी जाए, तो इस जूट मिल को पुनः चालू करने के लिये संस्थागत वित्त प्राप्त कर सकें।

नफ्फरचन्द्र जूट मिल को फिर से चालू करने के लिए कुछ रियायती वित्त की व्यवस्था करने के लिए बातचीत शुरु की गई है।

काम बन्द होने से प्रभावित औद्योगिक कर्मचारियों को स्वीकार्य राहत देने का प्रश्न उनकी अपनी-अपनी राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

**श्री धीरेंद्र नाथ बसु :** क्या सरकार पश्चिम बंगाल उन बेरोजगार श्रमिकों को, जो पटसन मिलों के बंद रहने के दौरान बेकार रहे, मुआवजा देने की बात पर विचार कर रही है?

**श्री मोहन धारिया :** मैंने वक्तव्य में कहा है कि ग्यारह पटसन मिलें पश्चिम बंगाल में और एक मिल बिहार में बंद है। उन्हें खोलने के सभी प्रयास किये जा रहे है। इसी सन्दर्भ में श्री कौल को सभापतित्व में नियुक्त समिति का मैंने उल्लेख किया था। सभा को यह जानकर खुशी होगी कि वेवरले मिल्ज ने 31 जनवरी, 1977 से और कैल्विन मिल्ज ने 1 फरवरी, 1977 से काम आरम्भ कर दिया है। इसके अतिरिक्त खरडाह जूट कम्पनी, अलेक्जेंडर, तथा यूनियन जूट कम्पनी के साथ वार्ता काफी आगे तक पहुंच गई है क्योंकि सरकारी वित्तीय संस्थान इन्हें सहायता देने के लिए सहमत हो गये है। हम पूरी कोशिश कर रहे है ताकि श्रमिकों और उत्पादन का नुक्सान न हो।

**श्री धीरेंद्र बसु :** क्या मंत्री महोदय पश्चिम बंगाल में पटसन की मिले बंद किये जाने की जांच करायेंगे।

**श्री मोहन धारिया :** महोदय, मैंने उत्तर में बताया है कि आधुनिकीकरण, अनुसन्धान और विकास के लिए निवेश की कमी और समय के साथ अनुपयोगी हो गई पारिवारिक प्रबन्ध व्यवस्था के फलस्वरूप पटसन उद्योग में यह स्थिति पैदा हुई है। मेरा मंत्रालय सारे मामले की जांच करेगा।

**श्री चित्त बसु :** क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग गम्भीर रूप से संकटग्रस्त है? क्या सरकार सार मामले पर गहराई से विचार करेगी? निस्सन्देह पुरानी सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी और उसके परिणाम अच्छे नहीं निकले। क्या सरकार इस उद्योग में संकट के

अध्ययन और उससे छुटकारा पाने के लिए सुझाव देने हेतु एक अन्य समिति नियुक्त करेगी ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार श्रमिकों, पटसन उत्पादकों तथा देश की अर्थ व्यवस्था के हित में पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रही है ? क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान लगभग 80,000 श्रमिकों की नौकरी चली गई ? सरकार उन्हें क्या राहत देने जा रही है ? क्या यह भी सच है कि इस उद्योग में बहुत से बदली कर्मचारी भी काम करते है ? सरकार उन्हें स्थायी रूप से नौकरी देने के लिए क्या विचार कर रही है ?

**श्री मोहन धारिया :** महोदय यह कहना तो अन्याय होगा कि समिति ने कोई कार्य नही किया है। मैं उसके कार्य से संतुष्ट हूं। उस मंत्रालय का भार सम्भालने के बाद मैंने समिति को और गतिशील किया है। हमने कुछ सरकारी वित्तीय संस्थाओं से भी बात की है। यह पहली बार है जब सरकारी वित्तीय सस्थाएं कच्चे पटसन की मिलों की सहायता के लिए आगे आई हैं। इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है क्योंकि केवल राष्ट्रीयकरण से इन सभी समस्याओं को नहीं सुलझाया जा सकता। श्रमिकों को राहत देने के सम्बन्ध में मेरी पूरी सहानुभूति है। पिछली सरकार को चाहिए था कि इस बारे में शीघ्र कोई कदम उठाया जाता। सभा को पता ही है कि यह उद्योग केन्द्र सरकार के अधीन न होकर राज्य सरकार के अधीन है। बदली श्रमिकों के बारे में भी राज्य सरकार को जानकारी प्राप्त करनी चाहिये। फिर भी मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि मैं इस विषय पर राज्य सरकार से बात चीत करूंगा ताकि श्रमिकों को हानि न हो।

**श्री समर गुह :** महोदय, पटसन उद्योग की समस्या को केवल पश्चिम बंगाल की समस्या बताया जा रहा है। यह तो समूचे भारत की समस्या है क्योंकि इस उद्योग से काफी विदेशी मुद्रा कमाई जाती है और इसमें बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के हजारों श्रमिक काम करते हैं। ऐसा सन्देह है कि पुराने कांग्रेसी मंत्रियों ने सांठ गांठ करके नकली संकट पैदा किया है जिस से पटसन निगम में भी गडबड़ी आई है। क्या सरकार दो स्तरों पर जांच करायेगी ? पहली जांच तो यह होनी चाहिये कि क्या मंत्रियों ने चुनाव निधि एकत्र करने के लिए पटसन मिल मालिकों से सांठ गांठ की थी और क्या यही चीज पटसन निगम में भी हुई है ? दूसरे जो समिति नियुक्त की गई है उसका पुनर्गठन करके ऐसे विशेषज्ञ नियुक्त किये जायें जो कि केवल इस औद्योगिक संकट के कारणों की जांच करे वरन् उद्योग को बचाने पटसन की खेती में वृद्धि और उत्पादन में वृद्धि के लिए भी सुझाव दें।

**श्री मोहन धारिया :** जैसा मैंने कहा है यह देश का एक बड़ा उद्योग है। दुर्भाग्य से जो देश हमसे पटसन का आयात करते थे वे कृत्रिम सामग्री का उपयोग करने लगे है। हमारे पटसन की बाहर मांग कम होने का यह आधारभूत कारण है। विश्व में आज यह प्रवृत्ति है कि सामान बड़ी-बड़ी मात्रा में भेजा जाता है जो बड़े-बड़े डिब्बों में जाता है और छोटे-छोटे पैकटों के लिए प्लास्टिक का इस्तमाल बहुत होता है। इसलिए बाहर तो मांग कम हुई है पर देश के भीतर हम इस बात की पूरी कोशिश कर रहे है कि मांग की कमी से उद्योग को हानि न हो। प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए काफी पयत्न नहीं हुए है। हमें इस बात की जानकारी है। जहां तक सांठ-गांठका सम्बन्ध है हमें मामले की पूरी जांच करनी होगी। मैं अभी से कुछ नहीं कह सकता। कौल समिति ने अच्छा काम किया है। हम निश्चय ही आवश्यकता होने पर विशेषज्ञों की सहायता लेंगे और उद्योग से संकट समाप्त करेंगे।

**Shri Yuvaraj :** May I know whether the State Government have recommended the take over of B. M. H. Mills, Katihar ?

**Sh. Mohan Dharia** : Sir, I may call the hon. Member that we have already taken up the matter with the State Government. We are trying to reopen the Rai Bahadur Haridatt Rai Motilal Jute Mills. I hope the State Government will cooperate with us. The Public Financial Institution will also extend their help.

**श्री ज्योतिमय बसु** : निःसंदेह आप को ज्ञात ही है कि आंध्र, बिहार, असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के 40 लाख लोग इस उद्योग में लगे हुए हैं। 2½ लाख श्रमिकों में से अधिकांश बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के हैं। पर इस उद्योग के 60 से 70 हजार लोगों को नौकरी से निकाला गया है। मैं जानना चाहता हूं कि अब तक कितनी मिलें बंद पड़ी हैं। 8 फरवरी, 1977 को रिहा होने के बाद मैंने प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय, वाणिज्य मंत्री से पूछा था कि क्या हो रहा है तो उन्होंने वचन दिया था कि बज बज क्षेत्र में कम से कम दो मिलें खुलवाने के प्रयत्न हो रहे हैं। उस बारे में अब तक क्या किया गया है?

आई डी बी आई भी पटसन, इंजीनियरी और कपड़ा उद्योग को नर्म शर्तों पर ऋण दे रहा है। क्या यह सच नहीं कि इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन ने यू० पी० चुनावों के दौरान 2 करोड़ रुपया और हाल ही के चुनावों के दौरान 5 करोड़ रुपया आप से पहले वाले मंत्री को दिया था। अब एक अरब रुपया आधुनिकीकरण के लिए दिया गया है। आधुनिकीकरण क्या है। केवल रोजगार के अवसर कम करने का साधन है। क्या यह हमारी परिस्थितियों के अनुकूल होगा?

निर्यात शुल्क समाप्त किया गया है। पटसन से हम विदेशी मुद्रा कमाते हैं। अतः जिन लोगों को नौकरी से निकाला गया है उनके बारे में आप जिम्मेवारी से बच नहीं सकते क्योंकि आप को ही लाभ पहुंचता है। विदेशी मुद्रा केन्द्रीय खजाने में ही जाती है अतः आप इसे केवल राज्य का ही उत्तरदायित्व नहीं कह सकते।

श्रमिकों की स्थिति बहुत खराब है, वे भूखे मर रहे हैं। इसलिए मिलों का राष्ट्रीयकरण करना ही एक मात्र उपाय है। अमरीका की डेडहाम अनुसंधानशाला की रिपोर्ट से पता चला है कि पटसन से वस्त्र तैयार किये जा सकते हैं। उस रिपोर्ट की सिफारिशों को कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया।

**श्री मोहन धारिया** : पटसन मिलों की वर्तमान स्थिति, श्रमिकों की संख्या आदि के बारे में मैंने वक्तव्य में अब कुछ बताया है। राष्ट्रीयकरण वर्तमान संकट का समाधान नहीं है। मामले की गहराई में जाने की जरूरत है। मैं श्री बसु के साथ पूरी तरह सहमत हूं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नवीन खोजों का लाभ उठाने की अत्यन्त आवश्यकता है ताकि पटसन की मांग को बढ़ाया जा सके।

श्रमिकों को राहत देने के मामले में मेरी श्रमिकों से पूर्ण सहानुभूति है और इस समस्या को यथाशीघ्र सुलझाया जाना है। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि 8 बंद मिल में कम से कम 6 मिले 3 या 4 महीनों में पुनः शुरू हो जायेंगी। लेकिन कच्चा माल जुलाई के बाद से उपलब्ध होगा। उस समय तक के लिए हमारे पास सुरक्षित भंडार भी नहीं है और आयात संभव नहीं है। फिर भी एक बार मिलें चालू हो जायें तो अन्य समस्याएं भी काफी हद तक सुलझ जायेंगी। मैं श्रम मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे अन्तरिम सहायता के मामले पर राज्य सरकार से बातचीत करें।

**श्री मोहम्मद शफी कुरेशी** : क्या पटसन मिलों के बंद होने से पटसन तथा पटसन से बनी वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई है? यदि हां तो अब तक कितनी हानि हुई है?

**श्री मोहन धारिया** : मिलों के बंद होने से निर्यात में कमी नहीं हुई है। निर्यात कम होने का कारण तो मांग में कमी है।

**श्री ज्योतिमय बसु** : ऐसा जानबूझ कर किया जा रहा है?

**Shri Balbir Singh** : Will you stop using polythene bags in public sector undertakings in order to encourage exports.

**Mr. Speaker** It has no bearing on this question.

**Sh. Balbir Singh** : My question about the use of polythene bags is an important question.

**Sh. Mohan Dharia** We have abolished export duty to increase exports. Secondly polythene bags are being used in the whole world. They are used for cement as well as for fertilizers. If we do away with them, we stand to loose. We have to take all these things into account.

*(Interruptions)*

But we will make all efforts to increase jute production.

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : मेरा प्रश्न बहुत सीधा है। भूतपूर्व मंत्री श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय ने स्पष्ट रूप से सभा में वक्तव्य दिया था कि खारदाह जूट मिल को 6 महीने में पुनः चालू किया जायेगा। मेरा वर्तमान मंत्री जी से अनुरोध है कि उसे केवल 1 महीने में ही चालू कराने का प्रयत्न किया जाये।

**श्री मोहन धारिया** : मिल के शीघ्र चालू हो जाने से मुझे खुशी होगी। लेकिन उसमें बहुत सी कठिनाईयां है। एक मिल का मामला तो उच्च न्यायालय में पहुंच गया है।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य**: लेकिन खारदाह मिल का मामला उच्च न्यायालय में नहीं पहुंचा है।

**श्री मोहन धारिया** : कई मिलों के दिवालिया होने सम्बन्धी कार्यवाही भी चल रही है। हम राज्यों से कह रहे हैं कि इस बारे में कार्यवाही न की जाये। कई मिलों में मरम्मत का कार्य किया जाना है। प्रबन्ध व्यवस्था से लेकर सभी चीजों में परिवर्तन करना है। पर मैं आश्वासन देता हूं कि मिलों को जल्दी से जल्दी चालू कराने के लिए यथा संभव कोशिश की जायेगी। पर हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये उससे नुकसान हो सकता है।

**श्री एम० रामगोपाल रेडी** : मंत्री जी ने ठीक कहा है कि विदेशों में पटसन की मांग कम हो रही है। इसलिए मिलें बंद हैं। इस मांग को बढाने के लिए क्या उपाय किये जा रहें है। दूसरे कुछ लोगों ने घोटाला भी किया है ऐसा सन्देह किया जा रहा है। क्या मंत्री जी के पास कोई निश्चित रूप से जानकारी है?

**श्री मोहन धारिया** : मैंने यह नहीं कहा कि विदेशों में मांग कम होने से मिलें बंद हुई हैं। दूसरी बात कदाचारों की है तो हम उनकी जांच करेंगे। पर जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है ऐसी साठ-गांठ के प्रमाण मिलना कठिन होता है इसलिए प्रमाण के अभाव में उनका पता लगाना बहुत मुशिकल है। हां हम भविष्य में ऐसा न होने देने की पूरी कोशिश करेंगे।

**Shri Ugrasen** : Sir, in view of the fact that jute mills in West Bengal are not beidg run smoothly, will the hon. Minister announce his Government's policy regarding nationalisation of mills ?

**Shri Mohan Dharia** : I ahave already started that nationalisation is not the soluti n of all problems. But this House can rest assured that so far as this Government is concerned there will not be any underhand dealings as in the part. Infact I have already started operations to clean the Commerce Ministry. If any officers try to indulge in anyunfair practice, all possible care will be taken to see that they do not have any place in the Commerce Ministry

**श्री के० लक्कप्पा** : अपने उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि राज्यों की भी अपनी जिम्मेवारी है। महोदय, क्या मैं जान सकता हूं कि राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए उन्हें अपेक्षित वित्तीय सहायता देने के बारे में केन्द्रीय सरकार का क्या विचार है ?

**श्री मोहन धारिया** : मैंने पहले ही कहा है कि इस प्रश्न का सम्बंध रुग्ण पटसन मिलों से है। वित्तीय संस्थाओं से हमने पहले ही बातचीत कर ली है। शायद पहली बार ये संस्थाएं सहायता के लिए आगे आई हैं। इन मिलों को सभी सम्भव सहायता दी जायेगी। और राज्यों तथा केन्द्र के बीच इस मामले में दलीय राजनीति का कोई स्थान नहीं होगा। जैसा कि अब तक होता रहा है।

**Sh. Lakhan Lal Kapoor** : Bihar produces about 30 per cent of the total production of jute. May I know whether any period has been fixed to take over the Rai Bahadur Hardatt Chamia jute Mill ? Secondly, by what time the work will start on two jute Mills at Kishanganj & Forbisganj. The people engaged in jute production are incurring loss. Will the Government try to compensate them by purchasing jute through the STC ?

**Sh. Mohan Dharia** : We have entered into a dialogue with the Bihar Government, we are trying to reopen the closed jute mills as early as possible.

**श्री टी० ए० पाई** : पटसन उद्योग हमारे देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योगों में से है जिसमें लाखों श्रमिक लगे हुए हैं और उस उद्योग का भविष्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करता है। मेरा अनुरोध है कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जाये क्योंकि अभी तक हम समय समय पर आने वाली कठिनाइयों की ओर ही ध्यान देते रहे हैं। केवल अन्तराष्ट्रीय बाजार की बात ही नहीं है बल्कि हमें देश की मांग को भी बढ़ाना है। क्या सरकार उद्योग में लगी पुरानी मशीनों की जगह नई मशीनें लगाने पर भी विचार करेंगी ? यदि आवश्यक हो तो सारे उद्योग का ढांचा पुन: तैयार किया जाये।

**श्री मोहन धारिया** : मैं सदस्य महोदय को विश्वास दिलाता हूं कि उनके सहयोग के साथ हम इस उद्योग की ओर पूरी तरह ध्यान देने के लिए उचित उपाय अपना सकेंगे।

**Sh. Hukamdev Narain Yadav**: Sir, may I know whether the Hon. Minster has prepared any scheme to run the jute mills smoothly ? The closure of jute mills worsens the conditions of farmers. Certain speedy measures should be taken in this direction.

**Sh. Mohan Dharia** : I again assure you that we shall try our best.

**श्री एस० कुंडू** : महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी का वक्तव्य ध्यान से पढ़ा है। क्या पटसन उद्योग की स्थिति की भी आपात स्थिति का लाभ माना जायेगा। दूसरी आपात स्थिति की घोषणा के बाद से ही 50 पटसन मिलें बंद हो गयी और 80,000 श्रमिक बेकार हो गये। लगभग 16 करोड़ रुपये की मिलों को छूट दी गई। कुछ और पटसन मिलों के बंद होने की भी आशंका है। इक्नामिक टाइम्स के अनुसार हमारा पटसन का विदेशी व्यापार

[श्री एस० कुंदु]

काफी कम हुआ है। यह कहानी आपात स्थिति के दौरान की है। इसमें वास्तविकता नहीं हो सकती। आप हमें सही स्थिति बताइये।

**श्री मोहन धारिया** : पटसन मिलों की वर्तमान संकटपूर्ण स्थिति से आपात स्थिति के लाभों का पता चल जाता है। पहले इतनी गंभीर स्थिति कभी पैदा नहीं हुई थी। जहां तक और मिलों के बंद होने का प्रश्न है यदि सदस्य महोदय का संकेत आंध्र प्रदेश की ओर है जहां हड़ताल चल रही है तो मैंने राज्य सरकार से इस बारे में रिपोर्ट देने को कहा है। मुझे अभी वहां की जानकारी नहीं है।

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : महोदय, मिलों के बंद होने से 80,000 श्रमिक बेकार हो गये। क्या उन मिल मालिकों द्वारा अवैध ढंग से मिलें बंद करने के लिए कोई कार्यवाही की जायेगी। मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भारतीय पटसन निगम को सलाह देगी कि इन पटसन मिलों को खोलने के लिए वह कच्चे पटसन की सप्लाई करे।

**श्री मोहन धारिया** : इसीलिए मैंने अपने वक्तव्य में पटसन मिलों द्वारा काम बंद होने" शब्द का उपयोग किया है न "मिलों को बंद करना"। पता नहीं यह वैधानिक है या अवैधानिक। यह पता करना राज्य सरकार का काम है कि क्या प्रबन्धकों ने मिलों को वैधानिक ढंग से बंद किया है या वहां मजदूरों की छंटनी की गई थी और क्या कोई मुआवजा दिया गया था या नहीं। मैं तो मिलों द्वारा काम बंद किये जाने के प्रति चिंतित हूं।

**Sh. Manohar Lal** : Sir, may I know whether Government would take steps to help small scale jute mills which will benefit the cultivators ?

**Shri Mohan Dharia** : We had established the Jute Corporation to help these cultivators and for the development of jute industry. But they have not come up to the expectations. We hope the working of this Corporation will now improve.

**Shri Manohar Lal** : My question was whether the Government would help the jute industry at the small scale level also besides rendering help to the sick mills ?

**अध्यक्ष महोदय** : हमने इस अल्प सूचना प्रश्न पर काफी समय ले लिया है। क्योंकि प्रश्न काल नहीं है अतः मैंने उदारता बरती है। अब इस पर इतनी चर्चा काफी है।

---

## विशेषाधिकार का प्रश्न
## QUESTION OF PRIVILEGE

### अमरीका में जुलाई 1975 में टेलीविजन पर श्री टी० एन० कौल द्वारा की गयी कतिपय टिप्पणियां

**श्री ज्योतिमय बसु** (डायमण्ड हारबर) : अध्यक्ष महोदय नियम 222/223 के अधीन मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिए आपकी अनुमति चाही है। इस मामले में तथ्य ये हैं :—

11—7—75 को आपात स्थिति की घोषणा के बाद अमरीका में भारत के तत्कालीन राजदूत और भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के वर्तमान सभापति ने जिन्होंने आज या कल त्यागपत्र दे दिया है—अमरीका में बी० बी० सी० को एक भेंट में बताया :

> "राजनीतिक नेताओं को जेल नहीं भेजा गया बल्कि घरों में नजरबंद किया गया है।"

सत्य को तोड़-मरोड़ कर पेश करने की यह गम्भीर घटना है । लोक सभा के समाचार भाग 2 में आपके आदेशों और अधिकार से विपक्ष के कई नेताओं की गिरफतारी और नजरबंदी की घटनाएं प्रकाशित हुई थीं । श्री कौल ने ऐसा वक्तव्य देकर सभा के विशेषाधिकार को भंग किया है।

अतः, मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये ।

**अध्यक्ष महोदय** : इस सम्बन्ध में मैं आपका सहयोग चाहता हूं । यदि मैं श्री लिमये को समय देता हूं तो श्री स्वामी तथा अन्य सदस्यों को भी देना पड़ेगा ।

**Shri Madhu Limaye** : That is for you to decide.

**अध्यक्ष महोदय** : यदि मैं इन्हें बोलने का समय देता हूं तो अन्य लोगों को भी समय देना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में मैं कोई चर्चा नहीं चाहता । अब मंत्री महोदय बोलें ।

**The Minister of External Affairs (Sh. Atal Bihari Vajpayee)** : Shri T.N. Kaul was asked to clarify the position about the matter raised by Shri Basu. He has stated that he had no intention to distort the facts. He said that he was giving a talk on television and his statement was based on the information available to him at that time. In his explanation Shri Kaul has also stated that he had not seen the bulletins referred to by Shri Basu. Shri Kaul said that he had not have full information at that time and therefore he gave only that information which he had at that time.

Shri Kaul has further stated that if anyone felt hurt (*Interruptions*).

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : कोई देश के लिये झूठ बोल सकता है, किसी व्यक्ति के लिये नहीं (व्यवधान) ।

**Shri Atal Bihari Vajpayee**: He said that if anyone felt hurt on this account it was unfortunate that he had no intention to give a wrong picture. Whatever he said was not based on facts.

**Shri Madhu Limaye** : I am speaking on a point of order. Before taking a decision in this regard, the Speaker has to consider whether this statement of Shri Kaul that he did not have full information, was based on facts and whether the Government of India and the Ministry of External Affairs supplied correct information to Shri Kaul. It is difficult to believe that Shri Kaul did not have full information. The Speaker should not take any hasty decision in this matter and should either call a meeting of the General purposes Committee or invite some of the leaders to his chamber and go deep into the matter. You should not treat this issue as a routine matter ( *Interruption*).

**Shri Atal Bihari Vajpayee**: I would like to add one thing namely, what Shri Kaul said was not based on facts. Whether he has committed any breach of privilege or not is a matter which it is for the Speaker to decide.

**श्री एस० कुंडू (बालासौर)** : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

**अध्यक्ष महोदय** : सभी माननीय सदस्य बैठ जायें । मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले को मुझ पर छोड़ दें। मैं इस पर विचार करूंगा । यदि किसी सदस्य को इस बारे में बात करनी है तो वे मेरे कक्ष में आ जाये।

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

## PAPERS LAID ON THE TABLE

### सरकारिया आयोग का प्रथम प्रतिवेदन, पर की गयी कार्यवाही का ज्ञापन, हिन्दी संस्करण साथ साथ सभा पटल पर न रख जाने का कारण

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति :—

(एक) तमिलनाड्रू के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिये गठित किये गये सरकारिया आयोग का प्रथम प्रतिवेदन (भाग 1 और 2)।

(दो) प्रतिवेदन पर की गयी कार्यवाही का ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) उपर्युक्त प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 20/77]**

### मद्रास नगर पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 1976, सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (संशोधन) नियम, 1977 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

**गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) तमिलनाडु राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत मद्रास नगर पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 39) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 5 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 21/77]**

(2) सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सां० आ० 11(ङ) जो दिनांक 6 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें दिनांक 24 जून, 1976 की अधिसूचना संख्या सां आ० 429 (ङ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 22/77]**

(दो) सां० आ० 11 (ङ) जो दिनांक 6 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें दिनांक 24 जून 1976 की अधिसूचना संख्या सां० आ० 430 (ङ०) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 22/77]**

(3) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 29 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 127 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 23/77**]

## आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

**श्रम तथा संसदीय-कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा)** : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) चीनी (वर्ष 1976–77 के उत्पादन के लिये मूल्य निर्धारण) आदेश, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 19 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 887 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) सा० सां० नि० 892 (ङ) जो दिनांक 22 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें दिनांक 24 सितम्बर 1976 की अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 815 (ङ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(3) सा० सां० नि० 913 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 9 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें दिनांक 27 अक्तूबर, 1975 की अधिसूचना सख्या सा०सां०नि० 542 (ङ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(4) सा० सां० नि० 941 (ङ) (अंग्रेजी संस्करण) तथा सा० सां० नि० 942 (ङ) (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 22 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 19 नवम्बर, 1976 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 887 (ङ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल टी० 24/77**]

## बैंककारी कम्पनी अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत प्रतिवेदन तथा दिल्ली वित्तीय निगम का वर्ष 1975–76 का प्रतिवेदन

**वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) बैंक आफ इण्डिया के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तीन) पंजाब नेशनल बैंक के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चार) बैंक आफ बड़ौदा के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(पांच) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(छः) केनरा बैंक के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(सात) यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(आठ) देना बैंक के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरक्षीक का प्रतिवेदन ।

(नौ) सिंडिकेट बैंक के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(दस) यूनियन बैंक आफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(ग्यारह) इलाहाबाद बैंक के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(बारह) इण्डियन बैंक के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तेरह) बैंक आफ महाराष्ट्र के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चौदह) इण्डियन ओवरसीज बैंक के 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 25/77]

(2) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली वित्तीय निगम के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी सं करण) की एक प्रति आस्तियों तथा दायित्वों का विवरण, लाभ और हानि लेखे तथा लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, जो दिनांक 18 नवम्बर, 1976 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 6/11/76-फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा देखिये सं० एल० टी० 26/77]

## खान तथा खनिज अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचना

**इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक)** : मैं खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० आ० 101 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 8 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी सभा पटल पर रखता हूं । [ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 27/77]

## तमिलनाडु वेतन भुगतान अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाओं तथा अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

**श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री रवींद्र वर्मा)**: मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गयी उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिल-नाडु वेतन भुगतान अधिनियम, 1952 की धारा 14 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनयओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) तमिलनाडु विधान मंडल (रेल द्वारा निःशुल्क यात्रा) नियम, 1975 जो दिनांक 29 नवम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 3744 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) तमिलनाडु, विधायक पेंशन नियम, 1977 जो दिनांक 2 फरवरी, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 250 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) उपर्युक्त मद (1) (एक) में उल्लखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सं करण)।

[ग्रंथालय में रखा देखिये सं० एल० टी० 28/77]

**रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन**

**उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा):** मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा देखिये सं० एल० टी० 29/77]

---

## सभा का कार्य
## BUSINESS OF THE HOUSE

**श्रम और संसदीय कार्य मंत्री (श्री रवींद्र वर्मा) :** मैं आज सभा में घोषणा करता हूं कि सोमवार, 4 अप्रैल, 1977 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा:—

(1) राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति के अभिभाषण पर आगे चर्चा ।

(2) तमिलनाडु और नागालैंड राज्यों में राष्ट्रपति का शासन बनाये रखने सम्बन्धी संकल्पों पर चर्चा ।

(3) काफी, मूंगफली और इलायची पर निर्यात शुल्क बढ़ाने सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा ।

(4) कालटेक्स [कालटेक्स आयल रिफाईनिंग (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों तथा कालटेक्स (इंडिया) लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जन] विधेयक, 1977

**(विचार तथा पास करना)**

(5) पेट्रोलियम पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक, 1977

**(विचार तथा पास करना)**

(6) पूर्वी पंजाब नगरीय किराया नियंत्रण (चण्डीगढ़ संशोधन) विधेयक, 1977

(7) संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 1977

**(विचार तथा पास करना)**

(8) दिल्ली प्रशासन (संशोधन) विधेयक, 1977

**(विचार तथा पास करना)**

(9) आक्षेपणीय सामग्री का प्रकाशन निवारण निरसन विधेयक, 1977

(विचार तथा पास करना)

(10) संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) विधेयक, 1977

(विचार तथा पास करना)

(11) खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 1977 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।

(विचार तथा पास करना)

**श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर) :** खेद की बात है कि कार्य सूची में तमिलनाडु के सम्बन्ध में चर्चा का उल्लेख नहीं है। वहां भारी सूखा पड़ा हुआ है और यह समस्या वहां बार-बार उत्पन्न होती है। गत वर्षों में सूखा राहत राशि का दुरुपयोग किया गया है। इसलिए अगले सप्ताह में इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए।

**श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) :** अनिवार्य जमा योजना तथा बोनस पर भी चर्चा की जानी चाहिए ।

**श्री सी० के० चन्द्रप्पन : (कन्नानोर)** हथकरघा उद्योग पर भी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि इस उद्योग को सकट का सामना करना पड़ रहा है।

**श्री वयालार रवि (चिरयिनकिल) :** खेद की बात है कि अगले सप्ताह से लिए जाने वाले कार्य की सूची में बुनकरों के लिए धागे के अभाव सम्बन्ध में चर्चा का उल्लेख नहीं किया गया है। केरल के बुनकर इससे प्रभावित हो रहे हैं। इस विषय को कार्य सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

**Shri Janeshwar Mishra (Allahabad)** We have come to know that the Ministry for Agriculture is going to finalise the procurement price of Rabi Crop in Consultation with representatives of State Government. It is a matter of Concern for farmers. we want the Minister for Agriculture to give a Statement in the House in this regard and there should be discussion on this subject. Fair price should be given to farmers for their Crops.

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों द्वारा उल्लिखित विषयों पर मंत्री महोदय गौर करेंगे ।

---

## कालटैक्स [कालटैक्स आयल रिफाइनिंग (इण्डिया) लिमिटेड के शेयरों तथा कालटेक्स (इण्डिया) लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जन विधेयक]

## CALTEX [ACQUISITION OF SHARES OF CALTEX OIL REFINING (INDIA) LIMITED AND OF THE UNDERTAKINGS IN INDIA OF CALTEX (INDIA) LIMITED] BILL.

**पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक हित में कालटेक्स आयल रिफाइनिंग (इण्डिया) लिमिटेड के शयरों के अर्जन का और भारत में कालटेक्स (इण्डिया) लिमिटेड के उपक्रमों के सम्बन्ध में उसके अधिकार;

हक और हित के अर्जन और अन्तरण का तथा उसके द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत में कालटेक्स आयल रिफाइनिंग (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा उत्पादित तथा उक्त उपक्रमों द्वारा विपणित और वितरित पेट्रोलियम उत्पादों के स्वामित्व और नियन्त्रण का ऐसा वितरण हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो, उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि लोक हित में कालटेक्स आयल रिफाइनिंग (इण्डिया) लिमिटेड के शयरों के अर्जन का और भारत में कालटक्स (इण्डिया) लिमिटेड के उपक्रमों के सम्बन्ध में उसके अधिकार, हक और हित के अर्जन और अन्तरण का तथा उसके द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत में कालटेक्स आयल रिफाइनिंग (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा उत्पादित तथा उक्त उपक्रमों द्वारा विपणित और वितरित पेट्रोलियम उत्पादों के स्वामित्व और नियंत्रण का ऐसा वितरण हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो, उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

**श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

## कालटेक्स [कालटेक्स आयल रिफाइनिंग (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों तथा कालटेक्स (इंडिया) लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जन] अध्यादेश, 1976 के बारे में वक्तव्य

STATEMENT re. CALTEX [ACQUISITION OF SHARES OF CALTEX OIL REFINING (INDIA) LIMITED AND OF THE UNDERTAKINGS IN INDIA OF CALTEX (INDIA) LIMITED] ORDINANCE, 1976

**श्री एच० एन० बहुगुणा** : मैं कालटेक्स [कालक्टेस आयल रिफाइनिंग (इण्डिया) लिमिटेड के शेयरों तथा कालटेक्स (इण्डिया) लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जन] अध्यादेश, 1976 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)

सभा-पटल पर रखता हूं।

*[Placed in Library see No. L. T. 30/77]*

---

## उपाध्यक्ष का निर्वाचन

## ELECTION OF DEPUTY SPEAKER

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** (सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि श्री गोडे मुराहरि को, जो इस सभा के सदस्य हैं, इस सभा का उपाध्यक्ष चुना जाए"

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा)** : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि श्री गोडे मुराहरि को, जो इस सभा के सदस्य हैं, इस सभा का उपाध्यक्ष चुना जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

*The motion was adopted*

---

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं श्री गोडे मुराहरि को उन के उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हू। मैं उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि सदन के सभी सदस्यों से उन्हें पूरा सहयोग मिलेगा।

**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : मैं श्री गोडे मुराहरि को बधाई देता हू। श्री मुराहरि सदन के लिए नए नहीं हैं। वह राज्य सभा के उपसभापति रह चुके हैं। मुझे आशा है कि वह सदन की परम्परा को बनाए रखेंगे।

**श्री समर मुखर्जी** : (हावड़ा) : मैं मार्क्सवादी दल की ओर से श्री मुराहरि को बधाई दता हूं। हमारा दल उनको पूरा सहयोग देगा।

**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** (कोयम्बटूर) : मैं साम्य वादी दल की ओर से श्री मुराहरि को बधाई देती हूं और यह आश्वासन देती हूं कि हमारा दल उनको पूरा सहयोग देगा।

**श्री इब्राहीम सुलेमान सेट** (मंजेरी) : मैं मुस्लिम लीग की ओर से श्री मुराहरि को बधाई देता हूं। उन्होंने राज्यसभा में उपसभापति के रूप में अच्छा कार्य किया है। मुझे आशा है कि वह सभी दलों के साथ न्याय करेंगे। मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं श्री गोडे मुराहरि को उनके उपाध्यषक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं। उन्हें ससदीय जीवन का पर्याप्त अनुभव है। अनुभवी सहयोगी को पाकर मुझे बहुत संतोष हुआ है। पीठासीन अधिकारियों को निष्पक्षता से कार्य करना होता है ताकि सदन के सभी वर्ग आश्वस्त हों। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सदन के सभी वर्गों को बोलने का पूरा अवसर दिया जाए।

**श्री गोडे मुराहरि** (विजयवाड़ा) : मैं अपने सभी सहयोगियों का आभारी हूं।

मुझे पता है कि उपाध्यक्ष को निष्पक्ष रूप से कार्य करना पड़ता है और मैं इस ओर प्रयत्नशील रहूंगा। मैं सदन के किसी विशिष्ट वर्ग से नहीं बल्कि सभी वर्गों से सम्बन्धित हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे मार्ग दर्शक करेंगे।

स्वतन्त्र और निस्पक्ष चुनाव के माध्यम से प्रजातन्त्र का परीक्षण किया गया है। मुझे विश्वास है कि जन आकांक्षाओं का आदर किया जाएगा। हमारा कार्य बहुत नाजुक होता है

[श्री गौड़ मु. हर्ि.]

क्योंकि हमें सदन की कार्यवाही एव सदन में बाहर जन आकांक्षाओं में सन्तुलन स्थापित करना होता है। मैं इस बात के लिए प्रयत्नशील रहूंगा कि सदन में जन आकांक्षाए प्रतिबिम्बित हों। मुझे आशा है कि सदन के सभी वर्ग मुझे पूरा सहयोग देंगे। पीठासीन अधिकारी के संरक्षण की आवश्यकता न केवल सत्तारूढ़ दल के सदस्यों बल्कि प्रतिपक्ष के सदस्यों को भी होती है। मैं अपना कर्त्तव्य निभाते समय इन सब बातों का ध्यान रखूंगा।

मैं बधाई देने वाले सदस्यों को एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं।

---

## राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

## MOTION OF THANKS ON THE ADDRESS BY THE VICE PRESIDENT ACTING AS PRESIDENT

अध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आगे चर्चा करेंगे।

**Shri Y. P. Shastri** (R w.) The Janta Party has rightly promised to pursue a policy of genuine non- alignment. The party will raise its voice against violation of Human rights.

Yesterday , I heard the Leader of the opposition saying that in the 42nd Amendment they have accepted the supermacy of parliament and that they will not go back upon it. This is rather amazing. What have they done for the spupermacy of parliament in the Amendment? During the last 20 months what was said in Parliament was not allowed to be published in the newspapers. Is that the way they hance defended the supermacy of Parliament ? The President has clarified that efforts will be made to mai tain balance between people and parliament and Parliament and judiciary.

The first person to uphold parliaments supermacy was shri Nath Pai. Shri Nath pai had brought a resoution for that purpose and also an amendment of the Constitution. At that time the Congress party had not supported the move for quite sometime. Therefore, it does not behave the Leader of the party to make the tall claim that the have uphold the supermacy of Parliament. In the 42nd Amendment. The fact is that they have neiteher upheld the supermacy of parliament not the supermacy of the people and the sanctity of the Constitutionl What they had actually done was th t they had taken away all the rights of the people. This is some thing which can never be imagined in a democracy.

The Janta party Government want to bring about some changes in the Constitution to fulfil the aspirations of the people. Let the congress Party see which way the wind is blowing and support that move.

The Leader of the opposition talk about the progress made by our Country. But the is it not a fact that there is growing unemployment in the Country and people are dying of starvation? Is it also not a fact that a number of jute mills have been closed and lakhs of textile mill workers are facing unemployment ?

I expect the Janata Government to pay attention to a balanced development of all the region of the Country. There are some regions where there are no means of irrigation, no industries and no railway lines. This state of affair shou.d be rectified.

With these works, I support the Motion of Thanks.

श्री के॰ लकप्पा (तुमकुर) : अधिकांश वक्ताओं ने चुनाव परिणामों की ही बात की है और कांग्रेस सरकार के अच्छे कार्यों पर कीचड़ उछाला है।

इसमें कोई सदेह नहीं कि नई सरकार सात दिन की अवधि में कुछ नहीं कर सकती। प्रधान मंत्री ने पद सभालते ही वक्तव्य दिया है कि जन आकांक्षाओं का आदर किया जाएगा।

हमें न ही किसी प्रकार की ईष्या है और न ही हममें किसी प्रकार के बदले की भावना है । परन्तु अधिकांश सदस्यों ने जो यहां भाषण दिये हैं उनमें भूतपूर्व सरकार को जली कटी सुनाने का प्रयत्न किया गया है । माननीय सदस्यों को यह नहीं भूलना चाहिये कि कांग्रेस वही पार्टी है जिसमें श्री मोरारजी देसाई तथा श्री जगजीवन राम वरिष्ट नेता हाल तक थे । उन्हें यह कहने का कोई अधिकार नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने देश का सत्यानाश कर दिया है तथा संविधान को तहस नहस कर डाला है । उन्हें यह याद रखना चाहिये कि श्री मोरारजी देसाई ने प्रधान मंत्री बनने के बाद यह कहा था कि वह भूतपूर्व सरकार के कृत्यों को पक्षपातपूर्ण ढंग से नहीं देखगें। उन्हे उनका वह आश्वासन नहीं भूलना चाहिये ।

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैंने इस प्रकार का आश्वासन नहीं दिया था परन्तु हां मैंने इतना अवश्य कहा था कि बदले की भावना से कोई कायवाही नहीं की जायेगी ।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री लकप्पा मैं समझता हूं कि व्यक्तिगत रूप से किसी के विरुद्ध कुछ नहीं कहा गया है । हां सरकार की नीतियों की अलोचना अवश्य की गई है । आप अपना भाषण जारी रखें ।

**श्री के० लकप्पा** : राष्ट्रपति के अभिभाषण में भूतपूर्व सरकार की नीतियों को तोड़ फोड़ कर प्रस्तुत किया गया हैं । अभिभाषण में जनता पार्टी के कार्यक्रमों तथा नीतियों के बारे में भी स्पष्ट रुप से कुछ नहीं कहा गया है । मैं समझता हूं कि जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में लोगों को जो कार्यक्रम सुझाये थे, उनका उल्लेख अभिभाषण में किया जाना चाहिये था ।

मेरे माननीय मित्र श्री हेगड़े ने कहा है कि भूतपूर्व सरकार ने जनता की भलाई के लिए कुछ भी नहीं किया है । वास्तव में एसा कहना ठीक नही है । भूतपूर्व सरकार ने जो अच्छे कार्य किये हैं, हमें उनकी सराहना को करनी ती चाहिये, उनका श्रेय सरकार को देना ही चाहिए, क्या यह स्वीकार करने से कोई इंकार कर सकता है कि आपात स्थिति के दौरान उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है ? क्या आप यह मानने से इन्कार कर सकते हैं कि आपात स्थिति के दौरान देश में अनुशासन नहीं बढ़ा । क्या कोई यह कह सकता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम एक व्यर्थ बात थी । वर्ष 1975–76 में मुख्य उद्योगों का उत्पादन सूचकांक 91.5 से बढ़कर 102.7 हो गया । इसी प्रकार कोयले का उत्पादन 12 प्रतिशत बढ़ गया तथा उर्वरकों के उत्पादन में भी 15.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई । अतः केवल यह कहना कि आपात स्थिति के दौरान कोई आर्थिक उपलिब्धयां नहीं हुई बिल्कुल बे बुनियाद है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुय]

[Mr. Deputy Speaker in the chair]

मेरे माननीय मित्र श्री कर्पूरी ठाकुर ने कहा है कि भूमि का वितरण नहीं किया गया है उनकी जानकारी के लिए मैं सदन को इस तथ्य से अवगत करता हूं कि भूमि सीमा नियम के अन्तर्गत

कुल 13.21 लाख मामले दर्ज हुये तथा उन में से 7 लाख मामलों का निपटारा कर दिया है जिसके फलस्वरूप 17.85 लाख एकड़ भूमि फालतू घोषित हुई जिसका यथा सम्भव ढंग से गरीब जनता में बंटवारा कर दिया गया । देश में भूमि सुधार नियम पर अमल हो रहा है । अतः भूतपूर्व सरकार तथा ताओं को इसका अपश्रय देने की बात नहीं की जानी चाहिये क्योंकि वह देश के समक्ष बहुत ही कारगर तथा प्रगतिशील विधान प्रस्तुत कर चुके हैं । गुजरात, हरियाणा हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तथा उत्तर प्रदेश आदि राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों यथा दिल्ली व चण्डीगढ़ में भूमिहीन लोगों को आंवास स्थानों का आबटन किया जा चुका है ।

इतना ही नहीं भूतपूर्व सरकार अनेक सामाजिक विधान भी प्रस्तुत कर चुकी है । साहूकारी प्रथा को समाप्त करने, ग्रामीण लोगों के नाम ऋण समाप्त करने तथा गरीव किसानों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए विधान लाये जा चुके हैं तो क्या वर्तमान सरकार, भूतपूर्व सरकार के इन सभी कार्यों को समाप्त करना चाहती है ? ये काफी संतोष का विषय है दक्षिण में अनेक लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर कांग्रेसी उम्मीदवारों को विजयी बनाया । अतः देश के एक भाग के लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है । अतः इस सदर्भ में मैं नये प्रधान मंत्री, जो कि काफी प्रबद्ध तथा बुद्धिमान व्यक्ति है, से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह सदन को यह आश्वासन दे कि उनकी सरकार भूतपूर्व सरकार के इस प्रकार के प्रगतिशील विधानों को नहीं करेगी । यह ठीक है कि भूतपूर्व सरकार से कुछ गलतियां हुई हो परन्तु उसके लिए केवल सरकार को ही दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिये । सम्भवतः उसका दायित्व नौकरशाही पर भी हो । मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं । मेरे चुनाव क्षेत्र में हाल ही में जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा हरिजन, मुसलमानों तथा अल्प सख्यकों को सताने का प्रयत्न किया गया है इस ओर सरकार को अपेक्षित ध्यान देना चाहिये ।

अन्त में मैं सरकार से यही अनरोध करना चाहता हूं कि उसे यह स्पष्ट करना चाहिये कि उसकी अपनी नीतियां तथा कार्यक्रम क्या होंगे । उसे यह भी स्पष्ट करना चाहिये की न्यायापालिका की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप नहीं करेगी ।

**Shrimati Marinal Gore** (North Bombay) At the outset, I would like to congratulate the Acting President for his address which rightly reflects the sentiments of the people. The people of the Country have unreservedly given their verdict in banour of democracy and against authoratarian rule. I heard Shri Chavan, the Leader of the opposition, with rapt attention and he has said so many things. In response to all Shri Charan said, my humble submission is that firstly Congresson should set their own house in order and those who live in glass houses, should not throw stones upon others. It is a well known act that during the Congress rule of thirty years, democracy in the Country has been undermined, civil liberties havebeen curbed and the freedom of press was curtailed.

It must be borne in mind that the present verdict of the people is unreservedly in favour of democratic values, It is, therefore, essential that for the restorataion of democracy in the Country, this Government should give primary attention. In this regard my submission is that right of voting should be conferred to all the youths who have attained the ageof eighteen years.

The problem of unemployment is the burning problem of the Country and the Acting President has made a reference to the same in his address. My feeling is that for effective tackling of this problem, the pattern of employment should be completely changed. With a view to check the exodus of rural people to cities in search of employment, the employment guarantee scheme as initiated in Maharashtra, should be introduced in the whole Country. A

revolving fund should be created in Reserve Bank of India and specific amount should be placed at the disposal of village panchayat for the implementations of schemes for providing employment to rural people. Similarly, in the field of education, sufficient measures should be taken for providing vocational training.

The other grave problem before the country is that of rising prices. It is unfortunate that the erstwhile Government did not ing to check the steep rise in prices during last so many years. One reason for increase in prices of serveral essential Commodities is that Congress Pa ty used to collect huge funds from the producers from time to time. This must be looked into as to how much donation was given by which industry.

The people in the country have been facing great hardships due to rising prices, but the erstwhile Government had done nothing to check the steep rise in prices during the last few years. The present Government shoud, therefore, take steps to create buffer stocks of essential commodities to maintain regular supplies to the market and thus check the rise in their prices. Government should also see that the traders do not create an artificial secrcity in the market with a view to raising the prices. It is said that inflation has been checked during the emergency, but the fact is that the consumer price index has not come down while there has been a fall in the wholesale price index. Therefore, it is not correct to say that the economic condition has improved during the period of emergency.

It has been rightly said in the Acting President's Address that measures will be taken to see that farmers get remunerative price for their produce. The present Government should take steps to eliminate the middlemen who grab the entire profit and step up the prices to fulfil their own interest.

**उपाध्यक्ष महोदय :** आप अपना भाषण मध्याह्न भोजन के बाद जारी रखें। सभा मध्याह्न पश्चात 2 बजे तक स्थापित होती है।

**तत्पश्चात् लोक सभा 2.00 बजे म प तक के लिये स्थगित हुई।**

*(The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the clock.)*

---

**लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद 2.00 बजे म० प० पुनः समवेत हुई।**

*The Lok Sabha re-assembled after lunch at five minutes past fourteen of the clock.*

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. **Deputy Speaker** in the Chair]

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री रवीन्द्र वर्मा एक वक्तव्य देंगे।

**श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों के लिये मजूरी की अन्त रिम दरें निश्चित किये जाने के बारे में वक्तव्य**

STATEMENT *RE*-FIXATION OF INTERIM RATES OF WAGES FOR WORKING JOURNALISTS AND NON-JOURNALISTS NEWSPAPER EMPLOYEES.

**संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) :** केन्द्रीय सरकार ने श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम,

1955 की धारा 13ग के अधीन 11 जून, 1975 को गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों के लिये एक सांविधिक मजदूरी बोर्ड गठित किया था।

अधिनियम की धारा 9 के अधीन 6 फरवरी, 1976 को श्रमजीवी पत्रकारों के लिये भी इसी प्रकार का एक मजदूरी बोर्ड गठित किया गया था। केन्द्रीय सरकार का विचार था कि गैर-पत्रकार कर्मचारियों तथा श्रमजीवी पत्रकारों दोनों के संबंध में मजदूरी की अंतरिम दरें निर्धारित करनी आवश्यक हैं, इसलिये सरकार ने दोनों मजदूरी बोर्डों से इस मामले में परामर्श मांगी। गैर-पत्रकार मजदूरी बोर्ड तथा श्रमजीवी पत्रकार मजदूरी बोर्ड की सलाह सरकार को क्रमशः जून और अक्तूबर 1976 में प्राप्त हुई। दोनों मजदूरी बोर्डों का मत था कि गैर-पत्रकारों और श्रमजीवी पत्रकारों को पहली जून, 1975 से से सहायता दी जानी चाहिये। मजदूरी बोर्डों ने पहली जनवरी, 1976 से सहायता की राशि में और वृद्धि करने का भी सुझाव दिया। कर्मचारियों को सहायता देने की आवश्यकता को देखते हुए इस मामले में तत्काल निर्णय लिया जाना चाहिये था। परन्तु, दुर्भाग्यवश, तत्कालीन सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया और इस प्रश्न को अनिर्णीत रखा।

सरकार ने अब गैर-पत्रकार मजदूरी बोर्ड और श्रमजीवी पत्रकार मजदूरी बोर्ड की सलाह के आधार पर उक्त अधिनियम की धारा 13क और 13घ के अधीन तत्काल मजदूरी की आन्तरिम दरें निर्धारित करने का निर्णय किया है। जैसा कि दोनों मजदूरी बोर्डों ने सुझाव दिया है, सरकार ने भी पहली जून, 1975 से अन्तरिम सहायता देने के प्रश्न पर ध्यानपूर्वक और सहानुभूति पूर्वक विचार किया है। सरकार पूर्वापेक्षी प्रभाव से अन्तरिम मजदूरी दरें निर्धारित करने के महत्व को अच्छी तरह समझती है, परन्तु सरकार को इस प्रश्न पर कानून के अनुसार ही विचार करना है। यद्यपि अधिनियम की धारा 12 की उपधारा में मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को पूर्वापेक्षी प्रभाव से लागू करने की व्यवस्था है, परन्तु अन्तरिम मजदूरी दरें निर्धारित करने संबंधी वर्तमान धारा 13क में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः वर्तमान कानून सरकार को पूर्वापेक्षी प्रभाव से अन्तरिम मजदूरी दरें निर्धारित करने की शक्तियां प्रदान नहीं करता। इसलिये सरकार का इस बात पर विस्तार से शीघ्र विचार करने का इरादा है कि क्या उक्त अधिनियम की धारा 13क में संशोधन करने की आवश्यकता है जिससे कि सरकार को मजदूरी की अन्तिरम दरों को पूर्वापेक्षी प्रभाव से लागू करने का अधिकार मिल सके।

मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने और विलम्ब किये बिना मजदूरी बोर्डों की सिफारिशों के अनुसार अन्तरिम मजदूरी दरें निर्धारित करने का निर्णय किया है। ये दरें अधिसूचना की तारीख से तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

मुझे सदन को यह सूचित करते हुए भी प्रसन्नता है कि अन्तरिम मजदूरी दरों के निर्धारण के फलस्वरूप गैर-पत्रकार कर्मचारियों की वर्तमान परिलब्धियों में 23 रु० से 85 रु० तक प्रतिमास की वृद्धि होगी, जो समाचारपत्र साप्ताहिक पत्रिकाओं नियत कालिक पत्रिकाओं आदि की श्रेणी पर निर्भर करेगी। इसी प्रकार श्रमजीवी पत्रकारों आदि के मामले में यह वृद्धि 85 रु० प्रतिमास से 131 रु० प्रतिमास तक होगी। यह सहायता अंशकालिक संवाददाताओं को भी दी जा रही है।

## राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

**Motion of thanks on the Address by the Vice-President acting as President—** *contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती मृणाल गोरे अपना भाषण जारी रखेंगी।

**Shrimati Mrinal Gore:** Government should also take measures to obtain active participation of the women in the progress of the nation. With a view to bringing them in the social main stream, Government should draw up schemes to provide part-time employment to women so that they can supplement their family income. I feel that during the last decade nothing substantial has been done to seek the active participation of women in the progress of the country though the office of the Prime Minister was held by a woman.

So far as the family planning is concerned, this programme has gone into disrepute. It is well-known that all sort of force was used and excesses were committed in the name of family planning. The Family Planning Programme is, no doubt very essential for the progress of women but the way the family planning programme has been implemented by the previous Government has virtually caused a great set-back for the implementation of the entire scheme.

So far as corruption in the national affairs is concerned, an inquiry committee should be set up to make a thorough probe into all cases of corruption. At the same time a spirit should be created in the country to reject the corrupt people from the social life.

When all this was done, the lips of the people were tight. Now when they have broken their silence after 19 months, they are not going to forget those atrocities. Their memory is fresh in their mind.

I will request my friends in the opposition that they should co-operate with the new Government for fulfilment of the dream of social change as envisaged by Shri Jayparkash Narayan. They should come out with constructive criticism and should not oppose the present Government simply for the sake of opposition.

**The Minister of Health and Family Planning (Shri Raj Narain):** It is a matter of concern that the speech made by the Leader of the Opposition was a cheap one and was not befitting the dignity of the House. Shri Chavan has tried to justify the enforcement of emergency in the country. Our conception of emergency is quite contrary and we think that it was a flaton national life. I think there could be no other measure which could be more insulting than emergency. It has tarnished the image of the country and has considerably undermined the dignity of the country. There was no season or justification for the imposition of emergency in the country in the name of internal security. May I ask Shri Chavan if there could be any more totalitarian attitude than that of Congress President who said "India is Indra and Indra is India."

I must make it clear that Janta Party stands for truth and justice. It did not require the support of any individual for its survival. It can stand on its own because it is founded on just and sound principle.

It is a matter of shame for the country that during emergency, democracy in the country was completely derailed. The civil liberties were curbed and press was completely gagged. All sort of atrocities were committed by the police. During last nineteen months our country remained under Police/Inspector rule. This was all very humiliating for the countrymen and also for the Indian abroad who were once proud of India's democratic values. Now the people have voted against this emergency and all that was done in the name of emergency. I think now good sense will prevail upon my freinds in the opposition and they will try to understand the reality. India is a country which has got highest regard for democratic traditions, and will continue to do the same.

I was surprised to hear from the Leader of the opposition as to how the followers of Dr. Ram Manohar Lohia and Jan Sangh can go together. In this connection I will only say that little knowledge is a dangerous thing. I may add it for the information of Shri Chavan that Dr. Lohia made constant efforts for the merger of all opposition parties. Now his dream is proving a reality in the form of Janta Party. He also made a prophecy that the

Congress Party will break up within five years and even this prophecy is going to prove true. I must tell my friends in the opposition that as Lord Krishna was born behind the bars, similarly, Janta Party also came into existence when its leaders were behind the bars As Lord Krishna was born to put an end to the misrule of 'Kansa', Janta party came in to existence to put an end to misrule of Smt. Indra ji.

Today I want to know from my Congress friends that when Shrimati Indira Gandhi was disqualified by Allahabad High Court for contesting election on corrupt practices for six years, what moral right she had to continue as Prime Minister. But despite adverse verdict, she continued to hold the office of Prime Minister by taking recourse to unconstitutional methods. The people of this country were very much agitated on this account and a demand was made for her resignation. In this connection a meeting of the opposition parties was fixed for 23rd June in Delhi which was to be addressed by Shri Narayan. But the flight by which he was to come to Delhi from Patna was got cancelled. The meeting of the opposition parties was held on 25th June in which about 8 to 10 lakhs of people participated. The meeting unanimously resolved and demanded that the Prime Minister should tender her resignation. In order to save her position, Shrimati Gandhi clamped emergency and all the opposition leaders were put behind the bars. Even highly respected leaders like Jaya Prakash Narayan were not spared. It may also be taken note of that Shri Jaya Prakash was released only when his health deteriorated to a considerable extent in Chandigarh jail.

This was the real state of affairs when emergency was declared and Shri Chavan wants to justify the same.

Shrimati Indira Gandhi lodged all of us in the jails after the Allahabad High Court Judgement. There was no chaos, disorders or violence in the country which warranted the imposition of Emergency. Even the respected Leaders like Shri Jaiprakash Narayan were not spared.

It is strange that the Congress Government declared Shrimati Indira Gandhi as a freedom fighter. How far was it justified when she had not been jailed even for six months which was the minimum requirement for being treated as freedom fighter.

The Congress Government earned a bad name on account of excesses in the implementation of family planning programme. It was so because inhuman excesses were committed in the name of family planning; people were subjected to untold sufferings. We are, therefore, thinking to drop Family Planning from the name of the Ministry. Janata Party want that the people should have a planned and unified family and under no circumstances force should be used against people for this purpose.

So far as labour and working classes are concerned, we made certain promises to them in our manisfesto. Every effort is being made to fulfil those promises. The anti labour and anti-democratic set up started by the previous Government will be gradually abolished. All committees and apex bodies set up by the previous government are being abolished because they are not truly representatives.

The labour representation for the improvement of the industrial relations will be given priority. Every effort will be made to maintain industrial peace and to create conditions in which labour could get justice and reasonable wages. It will be the effort of the present government to evolve a national policy on labour as early as possible.

Previous Government tried to topple the State Governments whenever it found them incomvenient. It was their brandof democracy. For us democracy and socialism are synonyms for there can be no socialism without democracy. What had the previous government done to bring about socialism in the country ? Even today 7 per cent of our people enjoys 14 per cent of our national income. Private capital on industry increased by 68·7 per cent during the last few years. Another example of congress socialism is that a large number of former princes were given congress tickets to fight election and it was another thing that they lost because our people rejected them. Every temptation is given to the people for purchasing their votes. Not only so, even when Mrs. Indira Gandhi was defected, efforts were made to put pressures on the Returning Officer for a repoll or a recount. I would like to compliment the Returning Officer of Rae Bareli that he did not succumb to the pressures put on him and declared Shrimati Indira Gandhi defeated.

Undoubtedly, Janata Party is a single integre ted unit. All candidates of Janata Party fought the election under one symbol and one Flag, and they issued one manifesto. It is the party of the people and has been accepted as such by all in our country.

**उपाध्यक्ष महोदय:** अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य शुरू कर रहे हैं आज बहुत सदस्य बोलना चाहते हैं । वे सब आज न बोल सकेंगे ।

**Shri Yagya Datt Sharma** (Gurdaspur) : I am speaking on a point of order. You should ensure that each member swhose name figures in the list gets an opportunity to speak.

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप एक नये सदस्य है । (**व्यवधान**)

**श्री यज्ञदत्त शर्मा** : मैं नया सदस्य नहीं हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : तो आप को यह बात जाननी चाहिये कि मंत्री के लिये कोई समय सीमा नहीं होती ।

**कतिपय षड़यंत्र की जांच करने के लिये उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प**

**RESOLUTION RE : APPOINTMENT OF HIGH POWERED COMMITTEE TO GO INTO CERTAIN CONSIPIRACY.**

**उपाध्यक्ष महोदय** : हम इस संकल्प पर चर्चा करने के लिये 2 घंटे का समय निश्चित करते हैं ।

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्** (बड़ागारा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस संकल्प का मसौदा नियमानुसार सुस्पष्ट तथा उचित नहीं है । मैं इस संकल्प में उल्लिखित "भूतपूर्व सरकार को संयुक्त तथा जानबूझ पूर्ण षड़यंत्र" पर आपति करता हूं सदन को अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखना है ।

**Shri Madhu Limaye** (Banka) : I would like to make it amply clear that the subject is already precisely expressed in the resolution. The issue in the resolution is that a commission of enquiry should be set up.

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद ही अध्यक्ष महोदय ने इसे स्वीकार किया है । इसलिये मैं व्यवस्था के इस प्रश्न के बारे में कुछ नहीं कहूंगा ।

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्** : मारुती, श्री बंसीलाल तथा नागरवाला मामलों का आपस में क्या संबंध है। आप किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं? (व्यवधान)

**श्री सी० एम० स्टीफन** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कहा है कि आप इस मामले में कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने इसे स्वीकार किया है। परन्तु दूसरे पक्ष को भी अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है।

प्रक्रिया नियम हम सब पर लागू होते हैं और हमें इस संबंध में आपत्ति करने का अधिकार है।

प्रक्रिया यह है कि जब किसी सदस्य का संकल्प अस्वीकार हो जाता है तो दूसरा संकल्प स्वीकार कर लिया जाता है। उसके बाद संकल्प को कार्य सूची में रखा दिया जाता है। इस के बाद प्रत्येक सदस्य को यह जांच करने का अधिकार है कि संकल्प प्रक्रिया नियमों के अनुरूप है अथवा नहीं। मेरे विचार से प्रस्तुत संकल्प प्रक्रिया नियमों का उल्लंघन करता है।

**सभापति महोदय** : मैं पहले ही अपना विनिर्णय दे चुका हूं बार बार वही विषय दोहराने से कोई लाभ नहीं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : नियम 174 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती।

**श्री कंवर लाल गुप्त** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि भूतपूर्व भारत सरकार मारुती लिमिटेड तथा उस की सहायक कम्पनियों और श्री बंसीलाल (हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री और भारत के भूतपूर्व रक्षा मंत्री) द्वारा पेश तथा देश की जनता के विरुद्ध जानबूझ कर किये गये संयुक्त षडयंत्र जैसे मारुती और नागरवाला षडयंत्र तथा श्री बंसीलाल द्वारा किये गये अनेक गैर कानूनी कार्यों की जांच करने के लिये कुछ संसद सदस्यों, न्यायाधीशों तथा गणमान्य सार्वजनिक व्यक्तियों की एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति तुरन्त नियुक्त की जाये जो सरकार को तीन महीने के अन्दर अपना प्रतिवेदन पेश करे।"

**श्री समरगुह** (कन्टाई) : यह एक महत्वपूर्ण मामला है। मैं जानता हूं कि क्या तत्संबंधी प्रतिवेदन को अखबारों में छापा जा सकेगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आक्षेपनीय सामग्री प्रकाशन निवारण अधिनियम तथा संसदीय कार्यवाही प्रकाशन निवारण अधिनियम को भूतलक्षी प्रभाव से रद्द किया जायगा।

**The Minister of Home Affair (Chaudhuri Charan Singh)** : My hon. friend has raised a question whether legal action will be taken against those who publish proceedings of the House. I assure you on behalf of the Government that no action will be taken against those who publish proceedings in regard to the resolution.

**Shri Kanwar Lal Gupta** (Delhi-Sadar) : This Resolution has not been moved for any political end and it should not be viewed from a political angle. The purpose of this Resolution is to make our political and social life clean. There should be rule of law and there should be no place for corruption in a real democracy.

The former Prime Minister Smt. Indira Gandhi, Shri Sanjay Gandhi and Shri Bansi lal indulged in a number of corrupt practices.

[ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair.* ]

Official machinery was utilised to further interests. The former Prime Minister had collected crores of rupees by putting pressure on big people. She wanted to perpetuate her rule and pave the way for Sanjay Gandhi to be the Prime Minister in future.

In 1971 when Maruti Limited came into being, a person had to purchase 100 shares of Rs. 10 each to become a director. This rule was relaxed for Shri Sanjay Gandhi and he became director by purchasing 10 shares of Rs. 10 each.

In 1971, Shri Sanjay Gandhi was not a tax-payer, but now he has crores of rupees in his pocket. This money has been collected in an illegal manner. I will give the full details and request the hon. Minister to conduct an enquiry into the matter. There had been demands for inquiry into the affairs of Maruti Ltd., but no inquiry was ordered because people from top to bottom were involved in the conspiracy.

The Haryana Government had given 445 acres of land to Maruti Limited at a throw-away price of Rs. 40 Lakhs. This price was far below the market price. According to the 1975 balance. sheet of Maruti Limited, 33 lakhs of rupees were yet to be paid to Haryana Government.

It is strange how the transaction was registered without payment of the entire price of land and how structure was allowed to be constructed thereon. Thu rules and regulations were allowed to be violated. It is a clear care of misuse of power and Government machinery. It was a fraud on the people living in those villages because they were ousted from their land.

Out of 445 acres of land given to Maruti Limited, 200 acres of land was being used as a farm of Shri Sanjay Gandhi. He had an annual income of Rs. 5 lakhs from this farm which was not shown in his income-tax return.

The Haryana Government had given permit for huge quantities of cement and Steel for construction of Maruti Limited building. The surplus material was sold in the black market. I can adduce evidence in support of my allegation.

Birlas and other big capitalists had purchased shares of Maruti Ltd. even though it was incurring losses. This was clearly to get certain benefits from the Government by pleasing Shri Sanjay Gandhi. If an inquiry is conducted, a big scandal would come to light.

Money of Nationalised banks was also misused. The Punjab National Bank and the Central Bank had given loans to the tune of Rs. 2 crores to Maruti Ltd. This loan was advanced against machinery, raw material and the raw material which was to be purchased. This matter should be enquired into and guilty bank officials be brought to book.

In 1972, Sanjay Gandhi made a statement that in 1973, 1974 and 1975. 10,000, 25,000 and 50,000 cars would be on the road. Many people deposited security money to get dealership 2 crores 40 lakhs rupees were collected as security money. This money of the public was with Maruti and the dealers did not get cars for sale. When a dealer from Orissa wanted his money back, he was arrested under MISA. In this way neither the principal amount nor the interest over it was paid.

Maruti Heavy Vehicles Ltd., which is a sister concern of Maruti Pvt. Ltd., is manufacturing road-rollers in very large numbers with machinery worth only about Rs. 12 thousand and these rollers were sold to Government concerns or public undertakings. This is also a great scandal which should be gone into.

Maruti Technical, the third firm has Smt. Sonia Gandhi as Managing Director and Sanjay Gandhi as Director. This company provided technical know-how and made huge profits. This company also got agency for U.S. made piper planes and these planes were sold to

State Governments and Government undertakings. This firm got lots of money as commission. This firm also got an agency for Boeing planes. In this manner crores of rupees were amassed as commission.

Maruti had also got contracts for building bus bodies for State Transport undertakings of many states. How Maruti can undertake all such jobs with their limited capacity? All this was a fraud on the people. The Government should order an inquiry into the affairs of Maruti Ltd. so that all shady deals are exposed.

Nagarwala case in which 60 lakhs rupees were taken from the state Bank of India, New Delhi is well known. Mr. Malhotra formerly an employee of the State Bank, who had taken the money out of the Bank is now working in Maruti Ltd. The whole myste y should be unearthed by holding an inquiry. This will also help in avoiding misuse of Nationalised Banks money.

We have been told that about one hundred crore of rupees were drawn from the State Bank of India, New Delhi on the day election results were declared. This matter should also be inquired into.

A large number of Members of Parliament and Haryana Assembly submitted memoranda listing charges of corruption against Shri Bansi Lal former Chief Minister of Haryana. but the previous government did not order any inquiry. Charges of corruption against Shri Bansi Lal should be inquired into.

I have with me the full details in regard to scandal in which Shri Bansi Lal is involved. I may be allowed to lay a copy of the details on the Table of the House.

**अध्यक्ष महोदय** : आप सारी बात बता चुके हैं। फिर इसे सभा पटल पर रखना क्यों चाहते हैं।

**श्री कंवर लाल गुप्त** : पूरी तफसील पढ़ने में कम से कम एक घंटा लगेगा। इस लिये मुझे इसे सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाय।

**अध्यक्ष महोदय** : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्ता ने दो कागजात सभा पटल पर रखे [ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 111/77]

Sir, Shri Bansi Lal had been indulging in all sorts of corrupt practices and extending undue and illegal favours to Congress M.L.As. Various charges of corruption had been levelled against him by a large number of Members of Parliament and of Haryana Assembly but these charges were not looked into. Now even Congress leaders are demanding action against Shri Bansi Lal. These charges of corruption should be inquired into.

The Government should appoint immediately a high-powered committee to go into the Maruti and Nagarwala scandals and numerous illegalies committed by Shri Bansi Lal. This inquiry is very essential to make our public life clear.

**अध्यक्ष महोदय** : क्या श्री हुक्म देव नारायण यादव अपने संशोधन पेश करेंगे।

**श्री हुकम नारायण यादव** : मैं अपना संशोधन संख्या 1 पेश करता हूं।

**श्री मधु लिमये** : मैं अपना संशोधन पेश करता हूं।

**Shri Vasant Sathe** (Akola) : Mr. Speaker, The resolution moved by Shri Kanwar Lal Gupta is not admissible under rule 173 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, as it raises three different issues and not one defi..ite issue.

Shri Gupta has demanded that an enquiry should be conducted into the affairs of the former Government as well as Maruti Ltd. and an ex-Chief Minister of a State. How can these three issues be clubbed together?

यह कोई नहीं चाहेगा कि न्याय न हो। यदि जांच जरूरी है तो होनी चाहिये। किन्तु जिस ढंग के जांच की मांग की जा रही है उससे याय नहीं होगा बल्कि अयाय हागा क्योंकि यह सभी काल्पनिक मामलों की संयुक्त जांच होगी।

यदि यह भूतपूर्व सरकार के सभी कारनामों की संयुक्त जांच है तो सरकार के 30 वर्षों के कार्यों की जांच क्यों न की जाये? तब यह जांच श्री बीजू पटनायक जैसे सदस्यों के खिलाफ होगी और श्री देसाई के पुत्र के खिलाफ होगी। किसी को भी क्या छोड़ा जाये?

यदि श्री कंवर लाल गुप्त न्याय चाहते हैं और जांच की निष्पक्षता के बारे में गम्भीर हैं तो वे अपने संकल्प में यह संशोधन करें कि सभी मामलों की संयुक्त जांच की जाये। फिर चाहे वह संसदीय जांच हो--भले ही इसमें अधिक समय लगे।

यदि आप न्यायिक जांच चाहते हैं तो यह एक निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा की जानी च हिये और इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया है। श्री गुप्ता चाहते हैं कि इसमें ससद सदस्यों को रखा जाये। यदि इसमें संसद सदस्यों को शामिल किया जाता है तो यह पूर्णरूपेण न्यायिक जांच नहीं होगी। फिर श्री गुप्ता चाहते हैं कि इसमें जनता के विशिष्ट व्यक्ति भी रहें। इस प्रकार यह समिति न तो न्यायिक रह जायेगी और न ही अर्ध न्यायिक। यह वैसी समिति होगी? क्या इस पर विश्वास किया सकेगा?

संकल्प दो कारणों से उचित नहीं है। एक तो यह विशिष्ट बात की ओर इंगित नहीं करता तथा इसमें न्यायिक जांच की मांग न करके ऐसी जांच की मांग है जो मिली-जुली और राजनीतिक होगी इसलिये हम इसका विरोध करते हैं।

यदि आप न्याय चाहते हैं तो संकल्प किसी अन्य रूप में होना चाहिये था। हम संकल्प का उसकी भावना तथा उसके पाठ का विरोध करते हैं।

**Shri Madhu Limaye** (Banka) Mr. Speaker, Sir, I have heard Shri Sathe and in my opinion the first point of his speech was lava, as there was no point in saying all this after the speaker had given his decision in accor dance with the rules.

I am in complete agreement with this point that the proposed enquiry should be just and impartial. It should not be motivated by the sentiments of vindictiveness. But whatever has happened during the past, especially during the last nineteen months is known to all and so many atrociti s have been committed that it is impossible to forget all about them. My hon. friends belonging to the Congress party are talking about forget and forgive. But how could it be forgotten that the former Prime Minister has put the topmost leaders of the country in the jail including our present Prime Minister, Shri Morarji Desai, the Home Minister, Shri Charan Singh, Lok Nayak Jaiprakash Narain, all of whom are on the wrong side of serventies and have long and distinguished record of national service and tortured them for no fault of theirs. There is no dearth of instances to show that young and innocent bachelors were forcibly sterlised under the family planning programme during the period of emergency. Such things coulds not be forgotten.

So far as the phraseology of the Resolution is concerned. I have nothing to say except that it would have been better and more appropriate to have avoided the words "Consqiracy by the erstwhile Government of India" and that is why I have in my amendment substituted conspiracy by the former Prime Minister" for those words.

[Shri Madhu Limaye]

My hon. friend Shri Kanwar Lal Gupta has brought this Resolution before the House with a view to drawing the attention of the people to the fact that during the last eight years, power had concentrated in the hands of one person and the people were made to suffer. All those members who have got concrete facts with them, should place them before the government and after their preliminary examination. Government should decide about the appointment of the commission.

It was since 1969 that the country was gradually being taken towards totalitarianism. The name of the Prime Minister's Secretariat was misused to abolish all norms of parliamentary democracy and no Minister could take any action within his own sphere of activities. The departments, such as Intelligence Bureau, C.B.I., Revenue Intelligence and Directorate of Enforcement, which were attached to the Home Ministry were taken over by the Prime Minister himself. These departments were manned entirely by officers who were flatterness or yes-men. The Prime Minister's Secretariat and these departments had engaged themselves in preparing false reports with a view to blackmailing the leaders of opposition parties.

The question of Maruti Limited was raised many a time in the past in the House. I do not want to go in to the details of the past proceedings of the House regarding Maruti Limited. I only want to point out that in 1973-74 and in 1975 it was said that no foreign exchange would be allotted for Maruti Janta car project. But I have learnt that the machinery which was imported from East Germany, Poland and other East European countries as workshop machinery in the name of 'stock and sales' was given to Maruti Limited. Not only that, they were given particular specifications of the machinery that Maruti required.

It has also been learnt that the officers who tried to collect information about Maruti to fulfil their obligation to furnish replies to parliament, were harassed with C.B.I. raids against them. It is understood that one of the officers resigned and the other committed suicide.

I also tried to raise the question of Jagota Brothers in the House. But I was never allowed to raise the issue by the then Speaker.

There is another case and that also concerns Maruti Limited. It is understood that Maruti Limited was permitted to enter into collaboration with a German company and they were given foreign exchange worth Rs. 30 lakhs despite opposition by the Reserve Bank.

The former Prime Minister had made vague allegations against the members of the opposition when they were in jail. It was alleged by her that they were foreign agents and getting foreign money.

I want to say that an enquiry should be made into those allegations also and if any truth is found there in, the guilty should be punished. I have no hesitation in saying that who ever is found guilty, whether belonging to this side or that side should be punished. But at acting as a Commission agent of a number of foreign companies. It is not a fact that he persuaded the capitalists and directed the state Government to purchase the planes of the company of which he was an agent I did it enhance the prestige of Prime Minister or improve the image of India abroad ?

The next point is about company donations. It was suggested by this House in the past that restrictions should be imposed on donations by companies to political parties. But the fact is that Rs. 52 lakhs was paid by Mafat Lal Group alone for advertisements in Soveniers of the Congress Party. Similarly Indian Tobacco company had also paid Rs. one crore. All these things could not be forgotten.

I am preparing a Memorandum containing misdeeds of the previous Government. Other members who have concrete facts with them should also place all those facts before the Government for an enquiry into them.

**श्री सी० एम० स्टीफन** (इडुक्की) : मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं। यह संकल्प सभा की गरिमा के अनुरूप नहीं है।

जांच कराने के लिये इस सभा में संकल्प लाना आवश्यक नहीं है। जनता पार्टी में कुछ ऐसे तत्व है जो बदले की भावना से ओतप्रोत है। सभी को इसमें शामिल नहीं होना चाहिये। देश में एक जांच आयोग अधिनियम है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो है।

सरकार के लिये सबसे आसान और साफ तरीका यह है कि वह जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो और केन्द्रीय सतर्कता विभाग के माध्यम से कराये। तथा जांच आयोग अधिनियम का सहारा ले। विशिष्ट आरोपों के सम्बन्ध में जांच कराई जाये और दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाये। सभा से इस उद्देश्य हेतु स्वीकृति न मांगी जाये।

यह संकल्प उचित नहीं है। इसमें कह गया है कि भूतपूर्व भारत सरकार मारुती लिमिटेड तथा इसकी सहायक संस्थाओं और श्री बंसीलाल द्वारा मिलकर षडयन्त्र रचा गया। षडयन्त्र हमेशा मिलकर ही रचा जाता है। अतः यह दोनों शब्दावलियां अनावश्यक हैं। यह कहना कि भूतपूर्व सरकार देश के लोगों के विरुद्ध षडयन्त्र रच रही थी, सरासर गलत है। श्री बंसीलाल भी उस सरकार के एक अंग थे श्री बंसीलाल को अलग नहीं किया जा सकता। यदि श्री बंसीलाल को अलग समझा जाता है तो औचित्य का एक और प्रश्न उठता है। क्योंकि श्री बंसीलाल राज्य सभा के सदस्य थे। उनमें सबंधित संकल्प तो राज्य सभा में लाया जाना चाहिये था, न कि इस सभा में।

संकल्प पास करने से पहले एक जांच कराई जानी चाहिये और सदन को इस बात से संतुष्ट होना चाहिये कि कुछ अनियमितताएं बरती गई। सदन को बताया जाय कि वह अनियमितताएं क्या थीं। बिना इन तथ्यों के क्या सदन द्वारा ऐसा संकल्प पास करना उचित है। यह संकल्प संसदीय परम्पराओं के अनुरूप नहीं है।

**गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह)** : मैंने मारुति लिमिटड, नागरवाला मामले तथा श्री बंसीलाल के विरुद्ध की गई शिकायतों के बारे में विभिन्न मामलों की जांच सम्बन्धी संकल्प पर हुए वाद-विवाद को ध्यान से सुना। संकल्प में जो मामले उठाए गए है, वे अत्यधिक लोक महत्व के है और उनकी विस्तृत रूप से जांच करने की आवश्यकता है। वर्तमान सरकार लोगों को एक स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है और वह सत्यनिष्ठा, नतकिता तथा जन जीवन में एकता की उच्च परम्पराओं को निभाने के लिए कटिबद्ध है।

यद्यपि संकल्प में केवल भ्रष्टाचार और देश के विरुद्ध षड़यंत्र के मुख्य मामले का उल्लेख है, तथापि इस तरह के तीन विभिन्न मामले है। अतः सरकार इनकी पृथक् पृथक् रूप से जांच कराने का विचार रखती है। सरकार ने हाल ही में कार्य भार सम्भाला है इसलिए हमारे पास निदेश-पद तथा जांच करने का तरीका निर्धारित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं रहा है।

मैं सभा को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि सरकार इन मामलों पर गम्भीरता से विचार कर रही है तथा सभा में व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए समुचित कार्यवाही की जाएगी।

मैं आशा करता हूं कि मैंने जो कुछ कहा है, उस को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस ले लेंगे।

**Shri Kanwar Lal Gupta :** Mr. Speaker, Sir, my hon. friends belonging to the Congress Party may have certain objictions regarding the wording of the Resolution. They may have the objection that the enquiry should be entrusted to an Enquiry Commission and not to the members of Parliament and the Judges. But whatever of facts I have placed before the Houses are correct and none can repute them. The hon. Home Minister has given an assurance to enquire into these three cases separately and the mode of enquiry will be decided by Government. I am in full agreement with whatever he has said.

My hon. friend Shri Sathe has said that an enquiry was made against Shri Badal, who is presuit here during the Congress rule. The enquiry was made against him on the suggestion of one legislator. But it could not be understood as to why enquiry was not made against Shri Bansi Lal though the demand for the enquiry was made by 125 M.Ps'. What I mean to say is that our public life and administartion should be clean and roots of democracy should be strengthened in our country. No person, however highly placed he or she may be, should be above law. There should be same law for the Prime Minister and the Common man. But it is a matter of deep regret that the Congress Party has placed the Prime Minister in a special category. The Janta Party wants to apply the same Yardstick to the Prime Minister and the Comm n man.

The Home Minister has given an assurance that the Government propose to institute three separate inquiries into the matters raised in the Resolution. In view of the assurance given by him I beg the leave of the House to withdraw the Resolution.

**श्री मोहम्मद शफी कुरेशी**: माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि तीनों मामलों की पृथक पृथक जांच की जाएगी, जब कि संकल्प में चार मामलों का उल्लेख है।

**श्री कंवर लाल गुप्त** : मैंने श्री मधु लिमय का संशोधन स्वीकार कर लिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करना सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए। अब मैं पहले संशोधन सभा के समक्ष रखता हूं।

**श्री हुकमदेव नारायण यादव** : में अपना संशोधन वापस लेता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य को संशोधन वापस लेने की सभा की अनुमति है ?

**संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।**

**The amendment was by leave withrawn.**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री मधुलिमय उपस्थित नहीं है। इसलिए मैं उनका संशोधन सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

**संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।**

**The amendment was put and negatived.**

**श्री कंवर लाल गुप्त** : महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं संकल्प वापस लेना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य को संकल्प वापस लेने की सभा की अनुमति है।

**संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।**

**The Resolution was by leave withdrawn.**

## आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान किये गये अत्याचारों की जांच के बारे में संकल्प

## RESOLUTION RL. PROBE INTO ATROCITIES COMMITTED DURING INTERNAL EMERGENCY

**श्री ज्योतिमय वसु (डायमंड हारबर)**: मैं संकल्प पेश करता हूं।

"यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा 25-6-1975 और 20-3-1977 के बीच, जबकि आन्तरिक आपात स्थिति लागू थी, किए गए कथित कुकृत्यों, कदाचारों और अत्याचारों की जांच करने के लिए तुरन्त एक उच्च शक्ति प्राप्त संसदीय निकाय का गठन किया जायें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन काल का आन्तरिक आपात वाला काल सब से अधिक अन्धकारमय काल है। देश के इतिहास में ऐसे अन्धकारमय काल का कोई अन्य उदाहरण नहीं है। केवल एक व्यक्ति को बचाने के लिय आपात की स्थिति में सब कुछ किया गया। इस सम्बन्ध में इतनी बातें हुई कि उनका उल्लेख इस थोड़े समय में करना असम्भव है।

सबसे पहले तो आपात स्थिति का लगाया जाना ही अवैध था। फिर इसका विरोध करने वाले लोगों की आवाज बन्द करने के लिए तुरन्त कार्यवाही की गई। समाचार पत्रों का गला घोंट दिया गया, यहां तक कि उनके टैलिफोन, टैलीप्रिंटर तथा बिजली की लाइनें काट दी गई। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता छीन ली गई। यहां तक किया गया कि स्वर्गीय श्री फखरुद्दीन साहब के भाषण का भी सेंसर किया गया। 'आंसुका', डी०आई०आर० तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 107 और 109 का खुले तौर पर अनियंत्रित रूप से प्रयोग किया गया। सभी राजनीतिक विपक्षियों तथा उन सभी लोगों के, जिन्होंने सत्तारुढ़ लोगों का पक्ष नहीं लिया विरुद्ध झुठे मूक्कद्मे चलाए गए। जनता पर अत्याचार किए गए तथा दमन का बोलबाला रहा लोगों को अकथनीय यंत्रणाएं दी गईं।

दिल्ली को सुन्दर बनाने के बहाने दिल्ली में तुर्कमान गट तथा अजमलखां रोड पर 50,000 मकानों का अर्जन किया और कम से कम 25,000 मकानों, निज में लोग पीढ़ियों से रहते आ रहे थे, पर बुलडोजर फिरा दिए गए और उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया। लोगों को पीट पीट कर जान से मार डाला गया।

उत्तरी भारत में परिवार नियोजन के नाम पर काफी जोर जबरदस्ती की गई। जिन अधिकारियों ने इस मामले में सरकार का विरोध किया उन्ह अपमानित किया गया उनका तबादला कर दिया गया तथा उनका दर्जा घटा दिया गया। न्यायपालिका का मज़ाक उड़ाया गया।

"मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होती रही। 1971 में 1976 के बीच मूल्यों में 300 प्रतिशत वृद्धि हुई। एकाधिकारियों की पांचों घी में थी। छंटनी, जबरी छुट्टी और तालाबन्दी आम घटनाएं हो गई थी। संजय ने स्थिति का पूर्ण लाभ उठाया। वह सुपर प्रधान मंत्री बन गया। उसने भारतीय तथा विदेशी मुद्रा से अपनी जेबें भर ली। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया।

**तत्पाश्चात् लोक सभा सोमवार 4 अप्रैल, 1977/14 चत्र, 1899 (शक) के मध्याह्न पूर्व 11 बजें तक क लिय स्थागित हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, the 4th April, 1977/Chaitra 15, 1899 (Saka).**



म० प्र० भ० स० मु० मि० रो० न० दि०—एल० एस० III-210 एल०एस०-17-5-77-200